

पत्र संख्या-11/आ0.2-आ0नी0-05/2010 सा0प्र0.15440

बिहार सरकार  
सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

मो0 सिराजुद्दीन अंसारी,  
सरकार के अवर सचिव।

सेवा में,

सभी प्रधान सचिव/सचिव  
सभी प्रमण्डलीय आयुक्त  
सभी जिला पदाधिकारी  
सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना  
सचिव, बिहार कर्मचारी आयोग, पटना  
परीक्षा नियंत्रक, बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्वद, पटना।  
सचिव, केन्द्रीय चयन पर्वद (सिपाही भर्ती), पटना।

पटना-15, दिनांक-05.12.2017

विषय :- क्रीमीलेयर में नहीं होने संबंधी दिये जाने वाला शपथपत्र फॉर्म-xviiiA में संशोधन के संबंध में।

महोदय,

निदेशानुसार कहना है कि जाति प्रमाण-पत्र, आय प्रमाण-पत्र, आवास प्रमाण-पत्र एवं क्रीमीलेयर रहित प्रमाण-पत्र के संबंध में विभागीय परिपत्र संख्या-673 दिनांक-08.03.2011 द्वारा विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए जा चुके हैं।

विवेचित परिपत्र संख्या-673 दिनांक-08.03.2011 की कंडिका-(8) में प्रावधान है कि क्रीमीलेयर रहित प्रमाण-पत्र बार-बार निर्गत नहीं किए जायेंगे। पूर्व निर्गत प्रमाण-पत्र की स्थिति में क्रीमीलेयर में नही होने संबंधी स्वयं शपथ-पत्र फॉर्म-xviii में आवेदक/आवेदिका द्वारा दिया जायेगा, जो मान्य होगा।

विदित हो कि भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग), नई दिल्ली के पत्रांक-36033/1/2013-स्था0 (आरक्षण) दिनांक-27.05.2013 द्वारा आय/सम्पत्ति के निर्धारण को संशोधन करते हुए 4.5 लाख से बढ़ाकर 6.00 लाख किया गया है, जिसे राज्य में लागू करने का निर्णय सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार के परिपत्र संख्या-11805 दिनांक-17.07.2013 द्वारा लिया गया। इससे संबंधित संशोधित शपथ-पत्र फॉर्म-xviiiA विभागीय परिपत्र संख्या-16470 दिनांक-15.10.2013 द्वारा परिचारित किया गया है।


भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) नई दिल्ली के नवीनतम पत्रांक-36033/1/2013-स्था0 (आरक्षण) दिनांक-13.09.2017 द्वारा आय/सम्पत्ति के निर्धारण को संशोधन करते हुए 6.00 लाख से बढ़ाकर 8.00 लाख किया गया है, जिसे राज्य में लागू करने का निर्णय सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र संख्या-13687 दिनांक-31.10.2017 द्वारा लिया गया है।

इस प्रकार परिपत्र संख्या-16470 दिनांक-15.10.2013 के साथ परिचारित फॉर्म-xviiiA में 8.00 लाख की प्रविष्टि आवश्यक हो गयी है। इसी क्रम में फॉर्म-xviiiA के स्थान पर संशोधित फॉर्म-xviiiB निर्गत किया जा रहा है (छायाप्रति संलग्न)।

अतः अनुरोध है कि उक्त प्रावधान के आलोक में फॉर्म-xviiiA के स्थान पर संशोधित फॉर्म-xviiiB के साथ प्रस्तुत किया जाना वाला पूर्व निर्गत क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र वैध मानते हुए इसे स्वीकार करने की कृपा की जाय।

अनु0-यथोक्त।

विश्वासभाजन

  
(मो0 सिराजुद्दीन अंसारी)  
सरकार के अवर सचिव।

**(फॉर्म—xviii B)**  
**अधिकारिक घोषणा पत्र का विहित प्रपत्र**  
**(आवेदक द्वारा दिया जाने वाला शपथ पत्र)**

मैं .....पुत्र/पुत्री  
श्री ..... निवासी, ग्राम/कस्बा/शहर .....  
पोस्ट ..... थाना ..... प्रखण्ड .....  
जिला ..... राज्य..... एतद् द्वारा घोषित  
करता/करती हूँ कि मैं .....समुदाय का/की हूँ, जो कि  
कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय (कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग), भारत सरकार,  
नई दिल्ली के दिनांक-08.09.93 के कार्यालय ज्ञापन संख्या-360112/22/93-स्था0  
(एस0सी0टी0) में निहित आदेश के अनुसार सेवाओं में आरक्षण के प्रयोजन से भारत  
सरकार/बिहार सरकार द्वारा क्रमशः ओ0बी0सी0/पिछड़ा वर्ग, अत्यन्त पिछड़ा वर्ग के  
रूप में मान्य है। मैं यह भी घोषणा करता/करती हूँ कि मैं दिनांक-08.09.1993 एवं  
13.09.2017 के उपर्युक्त संदर्भित कार्यालय ज्ञापन की अनुसूची के कॉलम-3 में  
उल्लेखनीय व्यक्तियों/वर्गों (सम्पन्न वर्ग) से संबंधित नहीं हूँ।

हस्ताक्षर शपथकर्ता।